

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28()पंचावि/प्रशा-2/पंचा-प्र.अ/स्था.पद/ 2016/ 4213

जयपुर,दिनांक 10/10/16


आदेश

निम्न लिखित पंचायत प्रसार अधिकारियों के प्रशासनिक /राज्य हित में स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान (कॉलम सं.4) पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.स.	सर्व श्री/श्रीमति /सुश्री	कहाँ से	कहाँ को
1	रतन सिंह	पं0स0 वैर से पं0स0 डीग स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत पं0स0 वैर

उक्त कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना भिजवायेगें । इन्हें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) के आदेश दिनांक 09.09.2016 के अनुसार कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग,जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर भरतपुर ।
4. मुख्य/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद भरतपुर ।
5. विकास अधिकारी,पं0स0 वैर/डीग,जिला भरतपुर।
6. संबंधित, पंचायत प्रसार अधिकारी, ।
7. आदेश पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव